न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 192/2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जमी0वि0अधि0

मेजर अली पुत्र स्व0 बशीर, निवासी–ग्राम ढ़करानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

बनाम

1. श्रीमती शकिला पत्नी बशीर पुत्री मंगलू, निवासी ग्राम ढकरानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

2. ग्राम सभा ढकरानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा ग्राम प्रधान।

3. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री आर0के0 रोहिला।

अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–01: श्री डी0आर0 तिवारी।

निर्णय

यह निगरानी निगरानकर्ता उपरोक्त ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी विकासनगर द्वारा वाद संख्या–36/2010–11 श्रीमती शकीला बनाम मेजर अली आदि में पारित आदेश दिनांक 28–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है:–

उत्तरदात्री श्रीमती शकीला ने वादग्रस्त भूमि खसरा नं0–716 क्षेत्रफल 0.0810 है0 स्थित ग्राम ढकरानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर पर प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में दिनांक 18–05–2011 को प्रस्तुत किया। उत्तरदात्री द्वारा प्रस्तुत अस्थाई व्यादेश प्रार्थना पत्र पर दिनांक 28–10–2017 को विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा उभयपक्षों को विवादित सम्पत्ति की प्रकृति परिवर्तन से दिनांक 16–12–2013 तक निषेध किये जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं सँगत पत्रावलियों का भली–भाँति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का सार यह है कि आक्षेपित अस्थाई व्यादेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है एवं उसके विरूद्व प्रस्तुत निगरानीकर्ता की आपत्ति का कोई निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है।

दूसरी ओर उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि पारित अन्तरिम व्यादेश से किसी पक्ष का कोई अहित नहीं होता है एवं उसके प्रभाव की अवधि समाप्त हो चुकी है।

आलोच्य वाद में प्रस्तुत व्यादेश प्रार्थना पत्र दिनांक 28–10–2013 के पृष्ठ भाग में विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया :–

"उभयपक्षों को विवादित सम्पत्ति की प्रकृति परिवर्तन से दिनांक 16–12–13 तक निषेध किया जाता है "

उक्त आदेश एक अन्तर्वर्तीय एवं वादकालीन आदेश है, जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्ता को एक पक्षीय रूप से पारित अस्थायी व्यादेश के विरूद्व आपत्ति करने का विधिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता के स्वंय के कथनानुसार आक्षेपित आदेश के विरूद्व उसने परीक्षण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। तद्नुसार भी निगरानी पोषणीय नहीं है।

आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि यह आदेश मात्र विवादित सम्पत्ति के प्रकृत्ति परिवर्तन को दिनांक 16–12–2013 तक निषिद्व करने विषयक है। तद्नुसार इस आदेश से किसी पक्ष को कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं है। विकल्पतः निगरानीकर्ता को परीक्षण न्यायालय में अपनी आपत्ति पर सुनवाई करने एवं उसके शीघ्र निस्तारण हेतु आग्रह करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। तद्नुसार यह निगरानी स्वीकारणीय नहीं है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है, परन्तु विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, विकासनगर से अपेक्षा की जाती है, कि वे यथाशीघ्र निगरानीकर्ता की उपरिवर्णित आपत्ति का उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निस्तारण करें। उभयपक्ष अवर न्यायालय में दिनांक 03–01–2018 को उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित की जाय।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 13–12–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)